

प्रेषक,

रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 14 फरवरी,2017

विषय- मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आवासीय भवन (मा0 मुख्य न्यायाधीश आवास , लाल बहादुर शास्त्री अतिथि गृह परिसर , 3 नम्बर राजभवन कालोनी परिसर, ट्रांजिट हास्टल परिसर, रिवर बैंक कालोनी अतिथि गृह परिसर एवं अन्य परिसर) के उद्यान एवं लॉन के रख- रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष के लिए अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ के पत्र सं0-555/2017, दिनांक 16 जनवरी,2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आवासीय भवन (मा0 मुख्य न्यायाधीश आवास , लाल बहादुर शास्त्री अतिथि गृह परिसर , 3 नम्बर राजभवन कालोनी परिसर, ट्रांजिट हास्टल परिसर, रिवर बैंक कालोनी अतिथि गृह परिसर एवं अन्य परिसर) के उद्यान एवं लॉन के रख-रखाव हेतु आकलित लागत ₹013,58,000/- के आगणन पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में ₹0 7,00,000/- (रु० सात लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश सं0-212/2016/2484(2)/सात-न्याय-9(बजट)-2016-800(52)/2012, दिनांक 03 अक्टूबर,2016 द्वारा स्वीकृत की गयी है, तत्क्रम में कार्य को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि ₹06,58,000/- (रुपये छः लाख अट्ठावन हजार मात्र) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- चूंकि उक्त अनुरक्षण कार्य उद्यान विभाग, लखनऊ द्वारा कराया जाना है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।
 - 2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2017 तक अवश्य कर लिया जायेगा ।
 - 3- संदर्भित शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर,2016 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक " 2014- न्याय प्रशासन - आयोजनेतर- 800-अन्य व्यय - 06-विभागीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्राविधान -29- अनुरक्षण (भारित) " के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंगनाथ पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

सं0-15/2017/ 102(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ /मुख्य कोषाधिकारी, सिविल लाइन इलाहाबाद ।
- 5- उद्यान अनुभाग, 30प्र0 शासन / निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- वित्त ई- 12 / सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।